न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

बईलास श्री कमल कुमार मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 18/17 दावा निर्णय दिनांक 13/7/19

बउनवान

1. कन्हैयालाल उम्र 65 वर्ष पुत्र रामगोपाल जाति मीना।
2. रामचन्द्र उम्र 57 वर्ष पुत्र रामगोपाल जाति मीना निवासीगण ग्राम कन्दाफल खेडली जिला कोटा।

वादीगण

बनाम

1. रामकल्याण पुत्र राधाकिशन।
2. बृजमोहन पुत्र राधाकिशन जातियान मीना निवासीगण कन्दाफल खेडली तहसील कनवास।
3. मोत्या पुत्री राधाकिशन पत्नी रामनारायण जाति मीना निवासी मकान नबंर 165 अजय अहुजा नगर विस्तार योजना कोटा।
4. बद्री पुत्री राधाकिशन पत्नी रामकरण जाति मीना निवासी नांगलहेडी तहसील सांगोद।
5. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय कनवास।

उपस्थित :-
वादीगण की ओर से एडवोकेट अशोक कुमार जैन।
प्रतिवादीगण 01 लगायात 04 की ओर से एडवोकेट संजय सिंह।
प्रतिवादी क्रम 05 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास।

वाद अन्तर्गत धारा 53,88,89 आर.टी.एक्ट

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट श्री अशोक कुमार जैन वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,89 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कन्दाफल पटवार हल्का ढोटी तहसील कनवास जिला कोटा में खसरा नबंर0 77 की 2.23 है0, खसरा नबंर 133 की 0.76 है0, खसरा नबंर 183 की 0.01 है0, खसरा नबंर 184 की 0.31 है0, खसरा नबंर 185 की 0.38 है0, खसरा नबंर 196 की 0.01 है0, खसरा नबंर 197 की 0.01 है0, खसरा नबंर 197 की 2.90 है0, खसरा नबंर 432 की 2.43 है0, खसरा नबंर 432/646 की 0.01 है0, खसरा नबंर 433 की 2.44 है0, खसरा नबंर 574 की 0.06 है0, इस प्रकार कुल किता 11 की 11.54 है0, कृषि भूमि स्थित है, जिसमें राजस्व रेकार्ड के अनुसार वादीगण का हिस्सा 1/2, प्रतिवादी नबंर 01 व 02 का 5/12 हिस्सा व प्रतिवादी नबंर 03 व 04 का 1/12 हिस्सा है।
यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार उक्तवर्णित कृषि भूमियों में मौकेपर शांति पूर्वक उपयोग उपभोग में है, आपसी सहमति से मौके पर किये विभाजन के फलस्वरूप वादीगण 1/2 हिस्से में खसरा नबंर 183 की 0.01 है0, खसरा नबंर 184 की 0.31 है0, खसरा नबंर 196 की 0.01 है0, खसरा नबंर 197 की 2.90 है0, खसरा नबंर 432 की 2.43

उप खण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा

है0, खसरा नबंर 432/646 की 0.01 है0, व खसरा नबंर 574 की 0.06 है0, कृषि भूमियां आयी है, तथा शेष कृषि भूमियों में प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 04 राजस्व रेकार्ड में दर्ज उनके हिस्से अनुरूप मौके पर शांति पूर्वक उपयोग उपभोग में है। आपसी सहमति से वादीगण के हिस्सेमें आयी कृषि भूमियों में उन्होने स्वंय के खर्चे पर ट्यूबवेल खुदवा रखे है।

यह कि यदपि वादीगण व प्रतिवादीगण उक्त वर्णित कृषि भूमियों में आपसी सहमति से मौके पर शांति पूर्वक उपयोग उपभोग में है, परन्तु उक्त कृषि भूमियों का विधिवत विभाजन आज तक भी नंही हुआ है, और न ही कभी विभाजन हेतु लेण्ड होल्डर की सहमति की प्राप्त की है, उक्त कृषि भूमियों में समस्त सहखातेदारान का प्रत्येक इंच भूमि पर हक व हिस्सा है, उक्त कृषि भूमियां शामलाती खाते में दर्ज होने की वजह से वादीगण एवं प्रतिवादीगण को उक्त कृषि भूमियों में विकास कार्य करवाने में परेशानियों का सामना करना पडता है, इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण से उक्त वर्णित कृषि भूमियों का मौके पर कब्जे काश्त अनुसार विभाजन करने की कहा, परन्तु प्रतिवादीगण विभाजन हेतु पूर्व में तो तैयार हो गये, परन्तु बाद में इन्कार कर दिया, इसलिए वादीगण को मौके पर कब्जे काश्त अनुसार कृषि भूमियों के विभाजन हेतु उक्त वाद प्रस्तुत करना पडा है, वादीगण चाहते है, कि मौके पर कब्जे काश्त अनुसार कृषिभूमियों का विभाजन किया जाकर लगान राज पृथक किया जावे, यही इस वाद की विषय वस्तु है।

वादीगण द्वारा अपने प्रस्तुत में पुनः निवेदन किया कि ग्राम कन्दाफल पटवार हल्का ढोटी तहसील कनवास जिला कोटा में खसरा नबंर 77 की 2.23 है0, खसरा नबंर 133 की 0.76 है0, खसरा नबंर 183 की 0.01 है0, खसरा नबंर 184 की 0.31 है0, खसरा नबंर 185 की 0.38 है0, खसरा नबंर 196 की 0.01 है0, खसरा नबंर 197 की 0.01 है0, खसरा नबंर 197 की 2.90 है0, खसरा नबंर 432 की 2.43 है0, खसरा नबंर 432/646 की 0.01 है0, खसरा नबंर 433 की 2.44 है0, खसरा नबंर 574 की 0.06 है0, इस प्रकार कुल किता 11 की 11.54 है0,कृषि भूमि का मौके पर कब्जे काश्त अनुसार विभाजन किया जाकर आपसी सहमति से विभाजन के फलस्वरूप वादीगण के 1/2 हिस्से में आयी खसरा नबंर 183 की 0.01 है0, खसरा नबंर 184 की 0.31 है0 खसरा नबंर 196 की 0.01 है0, खसरा नबंर 197 की 2.90 है0, खसरा नबंर 432 की 2.43 है0, खसरा नबंर 432/646 की 0.01 है0, व खसरा नबंर 574 की 0.06 है0, कृषि भूमियों को वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावे व उक्त कृषि भूमियों को वादीगण के खाते में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें, इसी प्रकार शेष रही खसरा नबंर 77 की 2.23 है0, खसरा नबंर 133 की 2.44 है0, कृषि भूमियों को प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज किया जावे।

वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गई। प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 04 बाद तामील उपस्थित हुये, प्रतिवादीगण 01 लगायत 04 की ओर से एडवोकेट संजय सिंह ने दिनांक 16.08.2018 को वकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादीगण 01 लगायत 04 द्वारा जर्ये एडवोकेट जवाब दावा दिनांक 16.08.2018 को न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया।

प्रतिवादीगण 01 लगायत 04 द्वारा वादीगण के प्रस्तुत वाद पत्र में मद संख्या 01 लगायत 07 स्वीकार कर निवेदन किया कि ग्राम कन्दाफल पटवार हल्का ढोटी तहसील कनवास जिला कोटा में स्थित खसरा नबंर 183 की 0.01 है0, खसरा नबंर 184 की 0.31 है0, खसरा नबंर 196 की 0. 01 है0, खसरा नबंर 197 की 2.90 है0, खसरा नबंर 432 की 2.43 है0, खसरा नबंर 432/646 की 0.01 है0, खसरा नबंर 574 की 0.06 है0, कृषि भूमि में वादी को खातेदार कृषक घोषित किये जाने में हम प्रतिवादी नबंर 01 लगायत 04 को कोई आपत्ति नंही है। इसी प्रकार खसरा नबंर 77 की 2.23 है0, खसरा नबंर 133 की 0.76 हे0, खसरा नबंर 185 की0.38 हे0, खसरा नबंर 433 की 2.44 है0, कृषि भूमि में प्रतिवादी 1 व 02 को हिस्सा 5/6 व प्रतिवादी क्रम 03 व 04 को हिस्सा 1/6 में खातेदार कृषक घोषित किये जाने में हम प्रतिवादीगण 01 लगायत 04 को

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

उप खण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा

को कोई आपत्ति नंही है। दावा बाद तस्दीक कर शामिल पत्रावली की गई तथा इसी प्रकार तहसीलदार कनवास द्वारा भी दिनांक 22.01.2019 को राज्य सरकार की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया वादी वाद में वर्णित कृशि भूमि में 1/2 हिस्से का कब्जा काश्त अनुसार विभाजन का हकदार है। जवाब बाद प्रमाणित कर शामिल पत्रावली किया गया।

हमारे द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों संलग्न दस्तावेज, जवाब प्रतिवादी 01 लगायत 04 एवं जवाब सरकार का गहनता पूर्वक अवलोकन करने पर इस निष्कर्श पर पहुंचते है कि ग्राम कन्दाफल पटवार हल्का ढोटी तहसील कनवास जिला कोटा में स्थित खसरा नबंर 183 की 0.01 है0, खसरा नबंर 184 की 0.31 है0, खसरा नबंर 196 की 0.01 है0, खसरा नबंर 197 की 2.90 है0, खसरा नबंर 432 की 2.43 है0, खसरा नबंर 432/646 की 0.01 है0, खसरा नबंर 574 की 0.06 है0, कृषि भूमि में वादीगण के खाते में तथा इसी प्रकार खसरा नबंर 77 की 2.23 है0, खसरा नबंर 133 की 0.76 हे0, खसरा नबंर 185 की0.38 हे0, खसरा नबंर 433 की 2.44 है0, कृषि भूमि में प्रतिवादी 1 व 02 को हिस्सा 5/6 व प्रतिवादी क्रम 03 व 04 को हिस्सा 1/6 प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

_अतः वादी वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम कन्दाफल पटवार हल्का ढोटी तहसील कनवास जिला कोटा की आराजी खसरा नबंर 183 की 0.01 है0, खसरा नबंर 184 की 0.31 है0, खसरा नबंर 196 की 0.01 है0, खसरा नबंर 197 की 2.90 है0, खसरा नबंर 432 की 2.43 है0, खसरा नबंर 432/646 की 0.01 है0, खसरा नबंर 574 की 0.06 है0, कृशि भूमि में वादीगण के खाते में तथा इसी प्रकार खसरा नबंर 77 की 2.23 है0, खसरा नबंर 133 की 0.76 हे0, खसरा नबंर 185 की0.38 हे0, खसरा नबंर 433 की 2.44 है0, कृषि भूमि में प्रतिवादी 1 व 02 को हिस्सा 5/6 व प्रतिवादी क्रम 03 व 04 को हिस्सा 1/6 प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त खाते में रहन यथावत रहेगा। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13/9/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

कमल कुमार मीना
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रैट कनवास

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(civil procedure vode, appendix"d"I')
अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा
बईलास श्री कमल कुमार मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 31/18 दावा **निर्णय दिनांक** 13/2/19

बउनवान

1. कन्हैयालाल उम्र 65 वर्ष पुत्र रामगोपाल जाति मीना।
2. रामचन्द्र उम्र 57 वर्ष पुत्र रामगोपाल जाति मीना निवासीगण ग्राम कन्दाफल खेडली जिला कोटा।

वादीगण

बनाम

1. रामकल्याण पुत्र राधाकिशन।
2. बृजमोहन पुत्र राधाकिशन जातियान मीना निवासीगण कन्दाफल खेडली तहसील कनवास।
3. मोत्या पुत्री राधाकिशन पत्नी रामनारायण जाति मीना निवासी मकान नबंर 165 अजय अहुजा नगर विस्तार योजना कोटा।
4. बद्री पुत्री राधाकिशन पत्नी रामकरण जाति मीना निवासी नांगलहेडी तहसील सांगोद।
5. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय कनवास।

प्रतिवादीगण

दावा वास्ते अन्तर्गत धारा 53,88,89, आर.टी.एक्ट

मुकदमा नबंर 18/17 निर्णय दिनांक 13/2/19 सन् 2018 यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू उपखण्ड अधिकारी कनवास ब हाजरी वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री अशोक कुमार जैन मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 04 की ओर से एडवोकेट श्री संजय सिंह तथा प्रतिवादी क्रम 05 पेरोकार सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास स्वंय उपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है **ग्राम कन्दाफल पटवार हल्का ढोटी तहसील कनवास जिला कोटा की आराजी खसरा नबंर 183 की 0.01 है0, खसरा नबंर 184 की 0.31 है0, खसरा नबंर 196 की 0.01 है0, खसरा नबंर 197 की 2.90 है0, खसरा नबंर 432 की 2.43 है0, खसरा नबंर 432/646 की 0.01 है0, खसरा नबंर 574 की 0.06 है0, कृषि भूमि में वादीगण के खाते में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं, तथा इसी प्रकार खसरा नबंर 77 की 2.23 है0, खसरा नबंर 133 की 0.76 हे0, खसरा नबंर 185 की0.38 हे0, खसरा नबंर 433 की 2.44 है0, कृषि भूमि में प्रतिवादी क्रम 1 व 02 को हिस्सा 5/6 व प्रतिवादी क्रम 03 व 04 को हिस्सा 1/6 प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।** उक्त खाते में रहन यथावत रहेगा। तदानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

उप खण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा

है। नीज ....x....मुबलिग ....x....बाबत ....x.... खर्चा इस मुकदमे का मय सूद व शरह ....x....फसीदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ....x..... को अदा करें।
बसब्त मेरे दस्खत व मुहर अदालत के आज तारीख ...13.....माह ....2...... सन्...19..को जारी की गई।

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	-		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	-		स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीश कमीशनर			बाबत इजराय हुकमनामा		
.बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुरफर्रिक			मीजान		
मीजान					

कमल कुमार मीना
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रैट कनवास

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)